राजस्व प्रार्थना पत्र 58/2024
जीसीएमएसम नंबर 2024/00235
हनुमानराम बनाम् सरकार

नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि हड़मानराम एवं हनुमानराम तथा महेन्द्र एवं महेन्द्र राम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा भावला तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 310 के खसरा नम्बर 193, 222 में दर्ज सहखातेदार नाम हड़मानराम के स्थान पर वास्तविक नाम हनुमाराम पुत्र ओमाराम एवं महेन्द्र के स्थान पर महेन्द्र राम पुत्र ओमाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे मौजा भावला तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 310 के खसरा नम्बर 193,222 में दर्ज सहखातेदार नाम हड़मानराम पुत्र ओमाराम एवं महेन्द्र पुत्र ओमाराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र ओमाराम व महेन्द्र राम पुत्र ओमाराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28/08/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल